



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2022 / डी-2997

दिनांक 22/12/2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अप्रोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	एच-4	हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्रीमती पदमा देवी पत्नी स्वं. श्री मालीराम वर्मा	श्री मालीराम वर्मा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र
2.	एच-5	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्री सुभाष चन्द सैन पुत्र श्री धन्ना लाल सैन	श्री श्याम लाल, सुभाष चन्द सैन श्री धन्ना लाल सैन	अनरजिस्टर्ड सहमति पत्र, शपथ-पत्र
3.	एच-5-ए	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्रीमती कमला सैन पत्नी स्वं. श्री श्याम लाल सैन	श्री श्याम लाल, सुभाष चन्द सैन पुत्र श्री धन्ना लाल सैन	मृत्यु प्रमाण-पत्र, अनरजिस्टर्ड सहमति पत्र
4.	एच-6	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्रीमती सविता कंवर पत्नी श्री धीसू सिंह	श्रीमती गिता देवी पत्नी श्री रामदीकरण शर्मा	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा पत्र
5.	एच-7	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	छीतरमल जाट पुत्र श्री सुरजाराम जाट	रूपचन्द जाटव पुत्र श्री पातरिया जाटव	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा पत्र
6.	एच-7-ए	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्रीमती कृष्णा देवी एवं श्रीमती ललिता देवी	रूपचन्द जाटव पुत्र श्री पातरिया जाटव	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा पत्र

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सैकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jalpurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

21/3/22

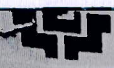
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।

21/3/22

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण. जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-2998

दिनांक 22/12/2022

विज्ञापित/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दर्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हिताधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के राक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दर्तावेज
1	11	राज नगर-ए	श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	श्री धनश्याम भाई पुत्र श्री प्रागजी भाई	आवंटन पत्र दिनांक 06.01.1993 मुख्यार नामा आम दिनांक 13.05.2003 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2002 आदि।
2	10	राज नगर-ए	श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री यागवेन्द्र शर्मा, श्री यागवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा	श्री रघुवीर सिंह शेखावत पुत्र श्री गोकुल सिंह	सोसायटी से जारी आवंटन पत्र दिनांक 15.05.1995 विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2020 अपंजीकृत वसीयतनामा, मुख्तयारनामा आम, इकरारनामा एवं हकत्याग पत्र आदि।
3	8	राज नगर-ए	श्री हरीश केवलानी पुत्र श्री मोहन लाल केवलानी	श्री मोहन लाल केवलानी पुत्र श्री धनश्याम दास	सोसायटी से जारी साईट आवंटन पत्र दिनांक 26.01.1996 धर्मा देवी की मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.12.2019 मोहन लाल केवलानी की मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.05.2021 हकत्याग पत्र आदि।
4	2	राज नगर-ए	श्री संजय जोशी पुत्र श्री राधेश्याम जोशी	श्री तुलसी भाई पुत्र श्री सुखा भाई	सोसायटी से जारी साईट प्लान आवंटन पत्र दिनांक 05.01.1993 इकरारनामा आदि।

21.7

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jalpurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

तलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के ध्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 5348

दिनांक:- 22/12/22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री शंकर लाल बैरवा व प्रवीण लोदिया पुत्र श्री शंकर लाल बैरवा एवं मीनाक्षी लोदिया पुत्री श्री शंकर लाल बैरवा	श्री शंकर लाल पुत्र श्री रामनाथ बैरवा	736	40.50 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर
2	श्री अब्दुल रसीद पुत्र श्री निसार मोहम्मद	श्री ग्यारसी गुजराती पुत्र श्री शिवजी गुजराती	एफ-1323	32.89 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	लीजहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 31.10.2019 के आधार पर
3	श्री अल्ताब हुसैन पुत्र मुबारिक हुसैन	श्री श्योजीराम पुत्र श्री नानगराम	जी-1138	---	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	लीजहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 07.09.2013 के आधार पर

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-5340

दिनांक:- 21/12/22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री खालिद हुसैन पुत्र श्री अख्तर हुसैन	श्री संजय कुमार पुत्र श्री हनुमान सहाय	एफ-918	32.89 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	नाम हस्तान्तरण/लीजहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 09.09.2012 के आधार पर
2	श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री गोपाल लाल बैरवा	श्री गोपीराम बैरवा पुत्र श्री भूराराम	439	40.50 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	लीजहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 03.07.2004 के आधार पर

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम खेड़ा जगन्नाथपुरा, तहसील चाकसू के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न — 1


उपायुक्त
जोन-14, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2022/डी-3887

दिनांक:— 21/12/2022

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102292

दिनांक: 21/12/2022

लोक सूचना

श्री DIG VIJAY MEHARA पुत्र श्री K. K. MEHRA जाति KHATRI निवासी STATION ROAD, KAMAYANI, KOTA

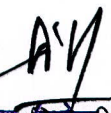
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	DIG VIJAY S/O K.K. MEHARA	819/58	200	0.02
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	DIG VIJAY S/O K.K. MEHARA	831/817	3675	0.3675
कुल					0.3875

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21-12-2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा / जोन-06 / उपा. / डी-4264

दिनांक.....22-12-22

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- सिरसली गृ.नि.स.स की योजना श्री श्याम कुंज की सदस्य सूची के प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सिरसली गृ.नि.स.स की योजना श्री श्याम कुंज की नियमन हेतु की सदस्यता सूची का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : सदस्यता सूची।

उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन - 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



श्री श्याम कुंज विकास समिति

चरण नदी, मुरलीपुरा, जयपुर

प्रबंधन कारिणी

क्रमांक :

दिनांक : 05/09/22

अध्यक्ष

श्री महेश कुमार

सचिव

श्री संजीव कुमार

कोषाध्यक्ष

श्री सूरजमल जाट

गूरपट्टों की सूची

क्रमांक	गूरपट्टों माहिक का नाम	गूरपट्टों संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग गज)
1	श्रीमती शीतल जीता पत्नी मदनलाल श्रीका	1	200-18
2	श्री किशोरीलाल पुत्री श्री ह्यासीलाल	2	150-66
3	बोदूराम पुत्र शिवमहाय जाट	3	150-60
4	श्री कपिलकुमार जीता पुत्री श्री जयदेव श्रीका	4	200-34
5	श्रीमती बबोला पत्नी श्री अजय फौजदार	5	249-00
6	सुमन कुमारी पत्नी संजीव कुमार	6	158-86
7	श्रीमती सुरजी देवी पत्नी सागरमल (भाबवा)	6A	148-86
8	श्रीमती गंवरी देवी पत्नी बोदूराम वर्मा	7	148-86
9	कमला देवी पत्नी महेश कुमार	8	200-00
10	कमला देवी पत्नी मोहन लाल	9	205-83
11	श्रीमती मंजू पुत्री अमरसिंह जीता	9A	206-1
12	श्री गोकुल चंद गौहवाल पुत्र श्री भूराराम गौहवाल	12	128-81

अध्यक्ष

श्री श्याम कुंज विकास समिति
चरण नदी, मुरलीपुरा, जयपुर

सचिव

श्री श्याम कुंज विकास समिति
चरण नदी, मुरलीपुरा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

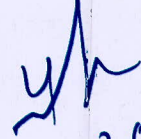
क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-5046

दिनांक 21-12-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


20/12/22

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सिकिल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....9-5046

दिनांक 21-12-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री कृष्णा विकास समिति की योजना कृष्णा विहार कालोनी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

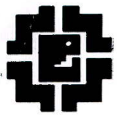
अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. में)	स्वामित्व
हसमपुराबास भांकरोटा तहसील सांगानेर	84	0.02	1. कमला देवी पत्नि स्व. बाबूलाल हिस्सा- 1/27 जाति- जाट सा.देह खातेदार 2. चन्दलाल पुत्र झूथाराम हिस्सा- 1/15 जाति- जाट सा.देह खातेदार 3. छीतर पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/9 जाति- जाट सा.देह खातेदार 4. दिनेश चौधरी पुत्र बाबूलाल हिस्सा- 1/27 जाति- जाट सा.देह खातेदार 5. धीरज पुत्र लादूराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा.देह खातेदार 6. नाथूराम पुत्र झूथाराम हिस्सा- 1/15 जाति- जाट सा.देह खातेदार 7. नाथीदेवी पत्नि मंगलचन्द हिस्सा- 1/15 जाति- जाट सा.देह खातेदार 8. भूराराम पुत्र झूथाराम हिस्सा- 1/15 जाति- जाट सा.देह खातेदार 9. भौरीलाल पुत्र लादूराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा.देह खातेदार 10. रमेश पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/9 जाति- जाट सा.देह खातेदार 11. राकेश चौधरी पुत्र बाबूलाल हिस्सा- 1/27 जाति- जाट सा.देह खातेदार 12. विजय पुत्र लादूराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा.देह खातेदार 13. श्रवणलाल पुत्र झूथाराम हिस्सा- 1/15 जाति- जाट सा.देह खातेदार 14. हनुमानसहाय पुत्र लादूराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा.देह खातेदार
	कुल किता 01	0.02	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/ अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 21-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

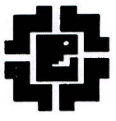
क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 2732

दिनांक:- 22/12/2022

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित श्री तीजा नगर विस्तार की योजना- हरनाथपुरा के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	प्लॉट न.	वर्गगज
1	श्री अजीत सिंह शेखावत पुत्र जगदीश सिंह शेखावत	1-ए	75
2	श्री राहुल कुमार पुत्र श्री कृष्णा कुमार सिंह	1	85
3	श्री उमराव सिंह पुत्र श्री नारायण लाल यादव	1-बी	138
4	श्री भेंवर लाल पुत्र श्री नारायण लाल यादव	1-सी	97
5	श्री आदेश सिंह शेखावत पुत्र मूल सिंह शेखावत	2, 2-ए, 2-बी, 2-सी	89, 102, 89, 106
6	श्री संजय यादव पुत्र श्री गुलाब चन्द यादव	4, 4-ए, 14, 15	116, 116, 122, 122
7	श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री शिव चन्द यादव	7	106
8	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री आशु सिंह	8	122
9	श्रीमती सरोज शेखावत पत्नि श्री जितेन्द्र शेखावत	9	122
10	श्री सीताराम पुत्र श्री सुरजमल अग्रवाल	10	122
11	श्री सोहन लाल पुत्र श्री रामनारायण	11	122
12	श्री विष्णु अग्रवाल पुत्र श्री लल्लु अग्रवाल	12	122
13	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जगदीश	13	122
14	श्री शम्भु दयाल पुत्र श्री गुलाब चन्द यादव	16, 17, 35	122.2, 122.2, 138
15	श्रीमती मंगली देवी पत्नि श्री रामप्रसाद सैनी	22	122
16	श्री गणेश कुमार पत्नि श्री फूलचन्द सैनी	23	122
17	श्री नेमीचन्द पुत्र श्री गैदीलाल सैनी	24	122
18	श्रीमती पुजा पत्नि श्री राकेश	25, 26	122, 122
19	श्रीमती पिकी देवी पत्नि श्री विजय कुमार	27-ए, 28, 34	38.8, 124, 137
20	श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	29, 30, 31	126, 128, 131
21	श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री सुरज मल	32, 33	113, 115
22	राजू पत्नी श्री मुकेश कुमार सैनी	27	122.2
23	श्री दीपक यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव	55	77
24	श्रीमती मीनाक्षी यादव पत्नि श्री दीपक यादव	56	77
25	श्री बिहारी शंकर यादव पुत्र पन्नालाल यादव	53	77
26	श्री श्याम लाल साहू पुत्र श्री माधेलाल साहू	54	77
27	श्री संजय यादव पुत्र श्री गुलाब चन्द यादव	36, 37, 38, 39, 40	140, 132, 147, 152, 157
28	श्री शम्भु दयाल यादव पुत्र श्री गुलाब चन्द यादव	3, 3-ए, 41, 42, 105, 106, 107, 108	116, 116, 87, 90, 89, 89, 89, 89
29	श्रीमती सरोज यादव पत्नि श्री संजय यादव	5, 5-ए, 20, 21, 45, 46, 71, 72, 77	116, 116, 122, 122, 92, 90, 77, 77, 77
30	श्रीमती अनिता यादव पत्नि श्री शम्भु दयाल यादव	6, 6-ए, 18, 19, 47, 48, 73, 74, 115	116, 116, 122, 122, 86, 74, 77, 77, 134



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

31	श्री सचिन यादव पुत्र श्री संजय यादव	50, 51, 52, 57, 58, 102, 103, 104	79, 77, 77, 77, 77, 128, 89, 89
32	श्री रोहित यादव पुत्र श्री संजय यादव	63, 64, 65, 66, 85, 86, 87, 88	77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77
33	श्री कृष्णा यादव पुत्र श्री शम्भु दयाल यादव	59, 60, 61, 62, 89, 90, 91, 92	77, 77, 77, 77, 88, 88, 88, 88,
34	श्री राहुल यादव पुत्र श्री संजय यादव	67, 68, 69, 70, 79, 80	77, 77, 77, 77, 77, 77,
35	कु. सोनिया यादव पुत्री श्री शम्भु दयाल यादव	76, 83, 84, 93, 94, 101, 111, 112	96, 77, 77, 88, 88, 115, 89, 89
36	कु. राजकुमारी यादव पुत्री श्री जगन्नाथ यादव	75, 97, 98, 109, 110, 113	85, 88, 88, 89, 89, 89
37	कु. अंजलि यादव पुत्री श्री प्रहलाद यादव	43, 44, 49, 81, 82, 95, 96, 114	91, 92, 70, 77, 77, 88, 88, 89
38	श्री संजय यादव पुत्र श्री गुलाब चन्द यादव	78, 99, 100	77, 88, 88

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर